"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 जनवरी 2016— पौष 17, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2015.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, तृतीय तल, सी-ब्लॉक इंद्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 170-ग के उप नियम (2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-

"(दो) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि.मी. से कम तथा 900 मि.मी. से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि जहां दो बर्थ संयुक्त रूप से हों तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि.मी. से कम तथा 1200 मि.मी. से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे.

(तीन) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे की पुर्नसंरचना या पुन: निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी."

2. नियम 170-घ के उप-नियम (एक) के खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-

"(ग) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि.मी. से कम तथा 900 मि.मी. से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि जहां दो बर्थ संयुक्त रूप से हों तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि.मी. से कम तथा 1200 मि.मी. से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे.

(घ) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे की पुर्नसंरचना या पुन: निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी."

No. F-5-1/viii-Trans/2015. — The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government, in exercise of the powers conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours in the office of the Transport Commissioner, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-clause (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 170-C, the following shall be substituted, namely :-

"(ii) The width of each berth shall not be less than 760 m.m. and more than 900 m.m. :

Provided that where two berths are joined the width of birth shall not be less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m. :

Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(iii) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (c) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier."

2. For clause (c) and (d) of sub-rule (i) of rule 170-D, the following shall be substituted, namely :-

"(c) The width of each berth shall not be less than 760 m.m. and more than 900 m.m. :

Provided that where two berths are joined the width shall not be less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m. :

Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(d) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (c) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.